

CRPI-211-6L-11-94

V-190 CR.J. (e)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898
in the court of.....
Case No.....

Class.....

Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant

शिवानी शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड

Name, parentage, caste and address of accused

काका देवाजी शर्मा राठौर
धुतुवा डूटा प-कोटा

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 22-4-10 को समय 10:20 बजे स्थान भिण्ड
पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 10
को अपने आधिपत्य में रखा
जो मोप्रो आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

अपराध स्वीकार है

आरू शर्मा

The Offence proved, if any and in case clause(d), clause(f) clause(g) or subsection(4) of section 260 the value of
the property in respect of which of which the offence has been committed

शिवानी शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड

(निर्णय)
(आज दिनांक 17-5-18 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 34 कायदा के अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण को धारा 34 कायदा के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को 1100/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
4. प्रकरण में जब्तशुदा अर्थात् नष्ट की जाय

निर्णय खुले न्यायालय में हरता 10 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड

मेरे निर्देश पर टाईप किया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड